बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-Gen-214/25 1178 /पटना, दिनांक–05/6/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0123 मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना (अवशेष), विपत्र कोड संख्या–37–4515–00–103–0123 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार कुल 48 अदद योजनाओं का निर्माण कार्य सन्निहित है। प्रत्येक योजना के लिए निर्माण (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य हेतु संलग्न सूची के स्तम्भ–15 में अंकित राशि के अनुरूप कुल राशि ₹39475.189 लाख (तीन सो चौरानवें करोड पचहतर लाख अठारह हजार नौ सौ रूपये) मात्र की राशि के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष–सामान्य) अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार 48 (अड़तालीस) अदद योजनाओं के निर्माण कार्य सन्निहित है। प्रत्येक योजना के लिए संलग्न सूची के स्तम्भ–10 में अंकित लम्बाई के निर्माण कार्य (नये सतहीकरण कार्य सहित) एवं छः वर्षीय सतत् अनुरक्षण कार्य हेतु अलग–अलग योजनाओं के लिए संलग्न सूची के स्तम्भ–15 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹39475.189 लाख (तीन सो चौरानवें करोड पचहतर लाख अठारह हजार नौ सौ रूपये) मात्र होता है।

2. माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक:–04/6/2025 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

I. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

II. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

III. इन योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का भुगतान योजना शीर्ष–4515 एवं सतत् अनुरक्षण कार्य की राशि गैर योजना मद शीर्ष–3054 से भारित किया जायेगा।

IV. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

V. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।

3. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 04.06.2025 को संचिका संख्याः– BRRDA(HQ)-MMGSY-Gen-214/25 के पृष्ठ–09/टि० पर प्राप्त है।

4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या–12888 (वि०) दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–2 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्याः– BRRDA(HQ)-MMGSY-Gen-214/25के पृष्ठ–09/टि० पर दिनांकः– 04.06.2025 को विभागीय माननीय मंत्री के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-Gen-214/25 के पृष्ठ संख्याः– 09/टि० पर दिनांकः– 03.06.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-Gen-214/25 1178 /पटना, दिनांक– 05/6/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव